म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26– अरेरा हिल्स, किसान भवन जेल रोड, भोपाल

क्रमांक/मंडी कार्मिक/अ–2/4459/574 भोपाल, दिनांक 26/04/2019

प्रति,

संयुक्त/उप संचालक,
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
ऑचलिक कार्यालय
भोपाल/उज्जैन/इन्दौर/जबलपुर/सागर/ग्वालियर/रीवा

विषयः–जय किसान समृद्धि योजना रबी 2018–19– प्रदेश की मंडियों में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षकों की अन्य मंडियों में डियूटी लगाने के संबंध में।

संदर्भः–म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड का आदेश क्रमांक/मंडी कार्मिक/अ–2/4459/563 दिनांक 24.04.2019

संदर्भित आदेश द्वारा जय किसान समृद्धि योजना रबी 2018–19के विक्रय संव्यवहारों संबंधी गतिविधियों के सम्पादन के लिये मंडियों के सहायक उपनिरीक्षकों को अन्य मंडियों में 15 दिन के लिये संलग्नीकरण निर्देश जारी किया गया है।

यह संज्ञान में आया है कि प्रमुख मंडियों में गेहूॅ एवं अन्य उपज की व्यापक आवक प्रारंभ हो गई है तथा जिन कर्मचारियों को अन्य मंडियों में भेजा जा रहा है उनकी लोकसभा निर्वाचन कार्य में डियूटी भी लगी हुई है। इसकी वजह से आदेश में वर्णित सहायक उपनिरीक्षकों को अन्यत्र भेजने में कठिनाई हो रही है।

अतः उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये ऑचलिक अधिकारी संभाग की मंडियों की व्यवस्था बनाये रखने हेतु आदेश का कियान्वयन अपने विवेकाधिकार से करेंगे। यदि किसी मंडी के सहायक उपनिरीक्षकों को अन्य मंडियों में भेजने में कठिनाई है या उनकी वैकल्पिक व्यवस्था संभव है तो तत्संबंध में अपने स्तर पर निर्णय लेकर मंडियों में प्रभावी नियमन व्यवस्था तथा जय किसान समृद्धि योजना रबी 2018–19 का सुचारू संपादन सुनिश्चित किया जायेगा।

(फैज अहमद किदवई)
आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल

क्रमांक/मंडी कार्मिक/अ–2/4459/575 भोपाल, दिनांक 26/04/2019

<u>प्रतिलिपि</u> :– सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग सह अध्यक्ष मंडी बोर्ड, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय भोपाल।
3. भारसाधक अधिकारी/सचिव, कृषि उपज मंडी समिति, ...

आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल